न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन भूअभिलेख अधिकारी

श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 165/2023

वादी	बनाम प्रतिवादी
1. सुरेन्द्र सिंह पुत्र अजायब सिंह जाति जटसिख निवासी 10 डब्ल्यू तहसील श्रीकरणपुर।	1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर

तारीख रजू:-06.06.2023

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए

--निर्णय-- दिनांक : 06.06.2023

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम चक 10 डब्ल्यू, पटवार हल्का 10 डब्ल्यू, भू.अ.नि. क्षेत्र केसरीसिंहपुर, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 87/46 के मुरब्बा नम्बर 40 का किला नम्बर 6 की 0.253 हैक्टेयर भूमि व इसी चक के खाता संख्या 150/97 के मुरब्बा नम्बर 40 के किला नम्बर 4 की 0.228 हैक्टेयर, किला नम्बर 5 की 0.227 हैक्टेयर, मुरब्बा नम्बर 36 के किला नम्बर 4 की 0.228 हैक्टेयर, किला नम्बर 7 की 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 14 की 0.253 हैक्टेयर भूमि राजस्व रिकॉर्ड में बारानी दर्ज है। परन्तु उक्त भूमि नहरी है। जिसकी पानी की बारी हमारे नाम है तथा सीसीए रिकॉर्ड में नहरी है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि राजस्व ग्राम चक 10 डब्ल्यू, पटवार हल्का 10 डब्ल्यू, भू.अ.नि. क्षेत्र केसरीसिंहपुर, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 87/46 के मुरब्बा नम्बर 40 के किला नम्बर 6 की 0.253 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 150/97 के मुरब्बा नम्बर 40 के किला नम्बर 4 की 0.228 हैक्टेयर, किला नम्बर 5 की 0.227 हैक्टेयर व खाता संख्या 137/66 के मुरब्बा नम्बर 36 के किला नम्बर 4 की 0.228 हैक्टेयर, किला नम्बर 7 की 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 14 की 0.253 हैक्टेयर भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में बारानी से नहरी दर्ज किए जाने के आदेश दिए जावे।

उक्त वाद के संबध में तहसीलदार श्रीकरणपुर के पंत्राक 25 दिनांक 02.05.2023 से रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा 88 में दर्ज रजिस्टर किया गया। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के मुताबिक चक 10 डब्ल्यू का वर्तमान मुरब्बा नम्बर 36 पुराना 44 एंव वर्तमान मुरब्बा नम्बर 40 पुराना 48 है। चक 10 डब्ल्यू के मुरब्बा नम्बर 36 का किला नम्बर 4/0.228, 7, 14 कुल 0.734 हैक्टेयर बारानी रकबा राजस्व रिकॉर्ड में सुरेन्द्र सिंह पुत्र अजायब सिंह जाति जटसिख निवासी देह खातेदार दर्ज है एंव मुरब्बा नम्बर 40 का किला नम्बर 4/0.228, 8/0.227 कुल 0.455 हैक्टेयर बारानी भूमि राजस्व रिकॉर्ड में महेन्द्र कौर पत्नी अजायब सिंह के नाम दर्ज है। मुरब्बा नम्बर 40 के किला नम्बर 6/0.253 [illegible] सवीर सिंह पुत्र अजायब सिंह जाति जटसिख खातेदार दर्ज है। कार्यालय [illegible] यता बीकानेर सिंचाई वृत श्रीगंगानगर के पंत्राक डब्ल्यू/जीसी[illegible]/1079/8381 दिनांक [illegible].07.1977 के अनुसार पत्थर नम्बर (159/135) मुरब्बा नम्बर 44 के किला नम्बर [illegible]0.228, 7, 14 एंव मुरब्बा नम्बर 48 का किला नम्बर 04/0.228, 5/0.227, 6 कुल 1.442 हैक्टेयर रकबा सिंचित घोषित किया गया है। जल संसाधन विभाग के अनुसार उक्त रकबा दिनांक 25.07.1977 से सिचिंत घोषित किया गया है। (गंगनहर क्षेत्र में भूमि आवंटन एंव विक्रय नियम-1956) के अनुसार देय अन्तरराशि मुताबिक सेल रजिस्टर संख्या 12 के पृष्ठ संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.09.06 12:30:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

20 के अनुसार 25026.50 रुपए वसूल योग्य थे। जो चालान नम्बर 1009/09.07.77 से 5005.30 रुपए, चालान नम्बर 604/19.07.83 से 15,016 रुपये एंव चालान नम्बर 1126-27/15.09.86 से 5006 रुपए कुल 25027.30 रुपए से जमा है। मुताबिक सैल रजिस्टर 7698 रुपए ब्याज बकाया है, जो प्रार्थी द्वारा जीआरएन नम्बर 76494465 दिनांक 01.06.2023 को जमा करवा दिए है।

बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, वादपत्र वादी, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर का अध्ययन किया। वादी अधिवक्ता की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा राजस्व ग्राम चक 10 डब्ल्यू, पटवार हल्का 10 डब्ल्यू, भू.अ.नि. क्षेत्र केसरीसिंहपुर, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 87/46 की प्रति, राजस्व ग्राम चक 10 डब्ल्यू, पटवार हल्का 10 डब्ल्यू, भू.अ.नि. क्षेत्र केसरीसिंहपुर, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 150/97 की प्रति, राजस्व ग्राम चक 10 डब्ल्यू, पटवार हल्का 10 डब्ल्यू, भू.अ.नि. क्षेत्र केसरीसिंहपुर, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 137/66 की प्रति, चक 10 डब्ल्यू की मिसल बन्दोबस्त सम्वत 2027 ता 2036 के मुरब्बा नम्बर 40, 36 की प्रति, भू-प्रबन्ध विभाग के मिलान क्षेत्रफल की प्रति, अधीक्षण अभियंता बीकानेर सिंचाई वृत श्रीगंगानगर के पंत्राक 8581 दिनांक 27.07.1977 की छायाप्रति, चक प्लान 10 डब्ल्यू की छायाप्रति, अधिशाषी अभियंता जल संसाधन उतरखण्ड श्रीगंगानगर के पंत्राक 4169 दिनांक 28.05.2015 की छायाप्रति, पर्ची वाराबन्दी चक 10 डब्ल्यू की छयाप्रति के अवलोकन से स्पष्ट है। वादी द्वारा राजस्व ग्राम चक 10 डब्ल्यू, पटवार हल्का 10 डब्ल्यू, भू.अ.नि. क्षेत्र केसरीसिंहपुर, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 87/46 के मुरब्बा नम्बर 40 के किला नम्बर 6 की 0.253 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 150/97 के मुरब्बा नम्बर 40 के किला नम्बर 4 की 0.228 हैक्टेयर, किला नम्बर 5 की 0.227 हैक्टेयर व खाता संख्या 137/66 के मुरब्बा नम्बर 36 के किला नम्बर 4 की 0.228 हैक्टेयर, किला नम्बर 7 की 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 14 की 0.253 हैक्टेयर भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में बारानी से नहरी दर्ज किए जाने बाबत निवेदन किया है। अधीक्षण अभियंता बीकानेर सिंचाई वृत श्रीगंगानगर के पंत्राक डब्ल्यू/जीसीएस/1079/8581 दिनांक 25.07.1977 के अनुसार पत्थर नम्बर (159/135) मुरब्बा नम्बर 44 के किला नम्बर 4/0.228, 7, 14 एंव मुरब्बा नम्बर 48 का किला नम्बर 04/0.228, 5/0.227, 6 कुल 1.442 हैक्टेयर रकबा सिंचित घोषित किया गया है। जल संसाधन विभाग के अनुसार उक्त रकबा दिनांक 25.07.1977 से सिचिंत घोषित किया गया है। (गंगनहर क्षेत्र में भूमि आवंटन एंव विक्रय नियम-1956) के अनुसार देय अन्तरराशि मुताबिक सेल रजिस्टर संख्या 12 के पृष्ठ संख्या 20 के अनुसार 25026.50 रुपए वसूल योग्य थे। जो चालान नम्बर 1009/09.07.77 से 5005.30 रुपए, चालान नम्बर 604/19.07.83 से 15,016 रुपये एंव चालान नम्बर 1126-27/15.09.86 से 5006 रुपए कुल 25027.30 रुपए से जमा है। मुताबिक सैल रजिस्टर 7698 रुपए ब्याज बकाया है, जो प्रार्थी द्वारा जीआरएन नम्बर 76494465 दिनांक 01.06.2023 को जमा करवा दिए है। अतः वादपत्र वादी, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर, वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.09.06 12:30:18 IST
Reason: SelfAttested

-:आदेश:-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136-राजस्व भू अधिनियम 1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम चक 10 डब्ल्यू, पटवार हल्का 10 डब्ल्यू, भू.अ.

नि. क्षेत्र केसरीसिंहपुर, तहसील श्री करणपुर के मुरब्बा नम्बर 40 के किला नम्बर 4 की 0.228 हैक्टेयर, किला नम्बर 5 की 0.227 हैक्टेयर, किला नम्बर 6 की 0.253 हैक्टेयर भूमि, व मुरब्बा नम्बर 36 के किला नम्बर 4 की 0.228 हैक्टेयर, किला नम्बर 7 की 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 14 की 0.253 हैक्टेयर बारानी भूमि को नहरी दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। इस खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

निर्णय आज दिनांक 06.06.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर प्रशासन गांवो के संग अभियान-2023 ग्राम पंचायत खरलां में सुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) ★ श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.09.06 12:30:18 IST
Reason: SelfAttested

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)
सुरेन्द्र सिंह बनाम राजस्थान सरकार
धारा अन्तर्गत 88 आरटीए मुकदमा नम्बर 165/2023
निर्णय दिनांक :- 06.06.2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी स्वंय उपस्थित होने पर** आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136-राजस्व भू अधिनियम 1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम चक 10 डब्ल्यू, पटवार हल्का 10 डब्ल्यू, भू.अ.नि. क्षेत्र केसरीसिंहपुर, तहसील श्री करणपुर के मुरब्बा नम्बर 40 के किला नम्बर 4 की 0.228 हैक्टेयर, किला नम्बर 5 की 0.227 हैक्टेयर, किला नम्बर 6 की 0.253 हैक्टेयर भूमि, व मुरब्बा नम्बर 36 के किला नम्बर 4 की 0.228 हैक्टेयर, किला नम्बर 7 की 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 14 की 0.253 हैक्टेयर बारानी भूमि को नहरी दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। इस खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 06.06.2023 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	00	00	स्टाम्प अरजी	00	--
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	--
योग	02	**00**	**योग**	**00**	**00**

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

क्रमांकः रीडर/ 2023/297
दिनांकः 06.06.2023

प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि निर्णयानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.09.06 12:30:18 IST
Reason: SelfAttested

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) ★ श्री करणपुर (श्री गंगानगर)
सत्यमेव जयते